DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
Mo- 9915376545

B.A PART-II, paper-IV (Indian Government and politics)

LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Lecture No. 14, 15

Ref. No................ Date. 17/08/20

संविधानवाद
(Constitutionalism)

प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं। साधारण कानून और संवैधानिक कानून अर्थात संविधान। इनमें सामान्यतः संवैधानिक कानून को सामान्य कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। शासन और शासक वर्ग को सामान्यतः साधारण कानून और कुछ सीमा तक संवैधानिक कानून से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आधुनिक राजनीतिक चिन्तन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में ही होनी चाहिए। और नियंत्रणों की यह व्यवस्था संस्थागत होनी चाहिए। जिससे उनकी अवहेलना अपेक्षाकृत कठिन हो जाय। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण के संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। विचारक विलियम जी. एण्ड्रूज ने कहा है कि "संविधानवाद का आशय है सीमित शासन, संविधानवाद के अन्तर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमायें लगाई जाती हैं। कुछ बातों के सम्बन्ध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के सम्बन्ध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के दो पहलू हैं एक स्वतंत्रता सम्बन्धी और दूसरा प्रक्रिया सम्बन्धी"

राजनीतिक चिन्तन में संविधानवाद अरस्तू के समय से ही चला आ रहा है। विचारक सेबाईन के अनुसार "अरस्तू के मत में संविधानवाद के तीन मुख्य तत्व हैं-

प्रथम- यह शासन जनता के या सर्वसाधारण के हित में होता है।
द्वितीय- यह विधि सम्मत शासन होता है।
तृतीय- यह स्वेच्छुक प्रजाजनों का शासन है।"

PTO

Scanned with CamScanner

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
Mob-9415376545

B.A PART-II, Paper-IV (Indian Government and Politics)

LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Ref. No..... Date. 17/8/20

पिनॉक और स्मिथ के शब्दों में "संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम नहीं है वरन यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है। यह प्रतिनिधित्व प्राचीन परम्पराओं और भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है।"

जे० एस० राऊसेक के अनुसार "एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है।"

प्रसिद्ध विद्वान के. सी. व्हीयर ने संविधानवाद को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "संविधानवादी शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन।..... संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमायें बाँधी जा सकें। और शासन चलाने वालों पर कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे।"

संविधानवाद और नागरिक के सम्बन्धों को, ऐसे ढंग से निर्धारित करना है कि शासन सत्ता नागरिक के लिए आतंक का विषय न बन जाय, संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में सम्भव है जहाँ संविधान हो और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका निर्धारित की जाय अपितु इस भूमिका की व्यवहारिकता की व्यवस्था भी की जाय। अर्थात सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों और प्रतिबन्धों की प्रभावशाली व्यवस्था हो।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन है। साथ-ही-साथ संविधानवाद की धारणा निश्चित रूप से बहुत व्यापक और गतिशील धारणा है।

संविधानवाद के लक्षण- संविधानवाद की विभिन्न अवधारणायें बतलाई जाती हैं, जैसे- पश्चात्य संविधानवाद साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद।

Scanned with CamScanner

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
Mo- 9415376545

B.A PART-II, Paper-IV (Indian Government and Politics)

LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Ref. No.................   Date 17/08/20

लेकिन आज भी संविधानवाद का विचार मूलतः पाश्चात्य संविधानवाद पर आधारित है। इस दृष्टि से संविधानवाद के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-

(1) संविधान (Constitution) - यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है लेकिन यह तथ्य है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता। संविधान, संविधानवाद के लिए आधारशीला प्रस्तुत करता है। संविधानवाद शासन शक्तियों को सीमित करने की संस्थागत व्यवस्था है और यह संस्थागत व्यवस्था संविधान की ही देन हो सकती है।

(2) लोकतंत्रीय शासन (Democratic Government) - हमें लोकतंत्र को ही संविधानवाद या संविधानवाद को लोकतंत्र का समरूप मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। साम्राज्यवादी जर्मनी शायद ही लोकतंत्र कहला सकता था, यद्यपि वहाँ संविधानवाद का अस्तित्व था क्योंकि शासनसत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार होता था। न कि निरंकुशतापूर्वक मनमाने ढंग से। दूसरी ओर आज के कुछ तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों में जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें जिस प्रकार से मनमाने ढंग से आचरण करती हैं, उसके कारण प्रत्येक लोकतंत्रीय राज्य को संविधानवादी राज्य कहना संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र और संविधानवाद परस्पर समरूप न होने पर भी लोकतंत्रीय शासन संविधानवाद की एक पूर्व शर्त है।

(3) विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था -

अरस्तू के समय से यह विचार मान्य है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किन्हीं व्यक्तियों को नहीं वरन विधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए। शासन विधि सम्मत होना चाहिए और शासन सत्ता पर ऐसे नियंत्रणों की व्यवस्था होनी चाहिए कि शासकवर्ग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके। संविधानवाद का सर्वाधिक प्रमुख आधार विधि सम्मत और सीमित शासन ही है। सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। मानव स्वभाव पर आधारित एक अकाट्य सत्य है और संविधानवाद सत्ता को सीमित करने की एक व्यवस्था है।

PTO

Scanned with CamScanner

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
Mob- 9415376545

B.A PART-II, Paper-IV (Indian Government and Politics)

LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Ref. No.................. Date..17/8/20......

(4) मूल अधिकारो की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता — 1791 ई० में जब अमेरिकी संविधान में दस संशोधन कर संविधान में नागरिक अधिकारो की व्यवस्था की गई, उसी समय से यह विचार मान्य है कि संविधान में ही नागरिक अधिकारो का उल्लेख होना चाहिए जिससे नागरिको के अधिकार शासन की कृपा पर ही निर्भर न रहे आज इस विचार को समस्त विश्व में सामान्य मान्यता प्राप्त हो गई है।

इसके साथ ही नागरिक अधिकारो की रक्षा का भार न्यायपालिका पर होता है और न्यायपालिका यह कार्य तभी सम्पन्न कर सकती है जब कि उसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र स्थिति प्राप्त हो। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद की एक आवश्यक शर्त बन जाती है।

(5) शक्तियों का विभाजन और विकेन्द्रीयकरण — मांटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति-विभाजन सिद्धान्त एक लचीली और गतिशील धारणा है जिसका मूल लक्ष्य सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यवस्था है। अतः संविधानवाद के लिए शक्ति विभाजन सिद्धान्त की मूल भावना को ग्रहण करना होगा। यह भी नितान्त सत्य है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षात्मक व्यवस्था का कार्य करता है।

(6) श्रेष्ठ परम्परायें और सामाजिक बहुलवाद — संविधानवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ सामाजिक, सांस्कृतिक व संवैधानिक परम्परायें और बहुलवाद का भी पर्याप्त महत्व है। यदि किसी समाज में सुस्थापित परम्परायें हैं तो शासन इन परम्पराओं की उपेक्षा करके जनमत को कुद्ध करने का साहस नहीं कर पाएगा। सामाजिक बहुलवाद समाज के विभिन्न संघो के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखता है।

(समाप्त)

Scanned with CamScanner